न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– श्री राजेश कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :– 145/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/220

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थी**

देवीसिंह पुत्र खीमसिंह
जाति राजपुरोहित
निवासी बागलोप
तहसील कल्याणपुर

1.अनोपसिंह पुत्र सुखदेव
2.गोविन्दसिंह पुत्र सुखदेव
3.दलपतसिंह पुत्र सुखदेव
4.नैनीदेवी पत्नि सुखदेव
5.उर्मिलाकंवर पुत्री नारायणसिंह
6.गजेसिंह पुत्र नाराणसिंह
7.महेन्द्रसिंह पुत्र नाराणसिंह
8.हिरेन्दसिंह पुत्र नाराणसिंह कौम राजपुरोहित निवासी बागलोप तहसील कल्याणपुर
9.ग्राम पंचायत घड़ोई चारणान जरीयें सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री दिनेश कुमावत ,अधिवक्ता प्रार्थी
2. विप्रार्थीगण एकपक्षीय

आदेश

दिनांक 24.01.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की [illegible] पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 40 क्षेत्रफल [illegible].6880 [illegible]टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा का[illegible] प्रार्थी [illegible] के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढा को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारा[illegible] तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम बागलोप पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:11:09 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

खेत खसरा संख्या 40 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। विवादित भूमि की मौका जांच रिपोर्ट तहसीलदार कल्याणपुर से तलब की गई।

3.हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बागलोप पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 40 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है,वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है तथा तहसीलदार कल्याणपुर की रिपोर्ट अनुसार विवादित भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद विघमान है। इस कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम बागलोप पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 40 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात एवं विवादित भूमि की सीमाज्ञान मौका फर्द का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बागलोप पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 40 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2079–2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसका प्रार्थी हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते है,जिसके अनुसार :–

धारा 128 **सीमा विवाद**–सम्बन्धी समस्त विवाद भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति में तय किए जायेगें:

1.(परन्तु खेतो के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन–पत्र,जहां यधपि ऐसी सीमा के वि[illegible] विवाद विधमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में [illegible] तहसीलदार को ही पेश किए जायेगें तथा उसी के द्वारा निप[illegible])

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है,कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवाद[illegible] निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 05.7.2023 के अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद होने का उल्लेख

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:11:09 IST
Reason: SelfAttested

किया गया है, ऐसी स्थिति में RLR ACT. की धारा 111 में निहित प्रावधानो के तहत हस्तगत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। वकील प्रार्थी अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

6.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवानें का हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

–:आदेश:–

अत: उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षत: आवेदन–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बागलोप पटवार हल्का कल्याणपुर तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 40 क्षेत्रफल 0.6880 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार कल्याणपुर को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 1500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 24.1.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.05.21 19:11:09 IST
Reason: SelfAttested